



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062020-220121
CG-DL-E-23062020-220121

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1779]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2020/आषाढ़ 1, 1942

No. 1779]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2020/ASHADHA 1, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 2020

का.आ. 1999(अ).—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 3226 (अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, --

(i) मद संख्यांक 1 में श्रेणी एन:पी₂ओ₅:के₂ओ:एस:जेडएन:: 9-16-12-05-01 से संबंधित प्रविष्टि(ख) में चित्तूर शब्द के पश्चात् “विशाखापत्तनम, विजयनगरम” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) मद संख्यांक 2 में श्रेणी एनपीके 26-0-9 से संबंधित प्रविष्टि(ख) में चित्तूर शब्द के पश्चात् “विशाखापत्तनम, विजयनगरम” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 2-2/2019 उर्वरक विधि]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 2020

S.O. 1999(E).—In pursuance of clause 20 B of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3226 (E) dated the 3rd October, 2017, namely, -

In the said notification, -

- (i) In item number 1 relating to Grade $N:P_2O_5:K_2O:S:Zn::$ 9-16-12-05-01, in entry (b) after the word chitoor, the words “, Visakhapatnam, Vizianagram” shall be inserted.
- (ii) In item number 2, relating to Grade NPK 26-0-9, in entry (b) after the word chitoor, the words “, Visakhapatnam, Vizianagram” shall be inserted.

[F.No. 2-2/2019 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 2020

का.आ. 2000(अ).—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20क के अनुसरण में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित किए जाने वाले अनंतिम उर्वरक फास्फोजिप्सम (दानेदार) से संबंधित निम्नलिखित विनिर्देशों को अधिसूचित करती है।

फास्फोजिप्सम (दानेदार)

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	15.0
(ii)	भार के आधार पर शुष्क सोडियम अंतर्वस्तु (Na के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.75
(iii)	रंग	हल्का हरा
(iv)	कण आकार	90 प्रतिशत से अन्यून सामग्री 4 मि.मी. भारतीय मानक छलनी से निकल 1 मि.मी. भारतीय मानक पर रह जाएगा। 5 प्रतिशत से अनधिक 1 मि.मी. भारतीय मानक छलनी से निकल जाएंगे।
(v)	भार के आधार पर शुष्क सल्फर (S के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	13.0
(vi)	भार के आधार पर (शुष्क आधार पर) सल्फेट डी हाईड्रेट अंतर्वस्तु का प्रतिशत न्यूनतम	70.0
(vii)	भार के आधार पर फ्लोराइड (F के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	1.0

(viii)	भारी धातु अंतर्वस्तु (मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के रूप में) अधिकतम	
	सीसा (Pb के रूप में)	100.0
	केडमियम (Cd के रूप में)	5.0
	क्रोमियम (Cr के रूप में)	50.0
	निकल (Ni के रूप में)	50.0
	अर्सनिक (As_2O_3 के रूप में)	10.0
	पारा (Hg के रूप में)	0.15

[फा. सं. 2-2/2019 उर्वरक विधि]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 2020

S.O. 2000 (E).—In pursuance of clause 20A of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby notifies the following specifications in respect of provisional fertiliser Phosphogypsum (Granular) to be manufactured in India for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

Phosphogypsum(Granular)

(i)	Moisture percentage by weight, maximum	15.0
(ii)	Sodium content (as Na), percentage by weight, maximum on dry basis	0.75
(iii)	Colour	Light Green
(iv)	Particles size	Not less than 90 percent of the material shall pass through 4 mm IS sieve and shall be retained on 1 mm IS sieve. Not more than 5 per cent. shall pass through 1 mm IS sieve.
(v)	Sulphur (as S) per cent. by weight, minimum on dry basis	13.0
(vi)	Calcium sulphate dihydrate content per cent. by weight, minimum on dry basis	70.0
(vii)	Flouride (as F) per cent. by weight, maximum	1.0
(viii)	Heavy metal content, (as mg per kg), maximum	
	Lead (as Pb)	100.0
	Cadmium (as Cd)	5.0
	Chromium (as Cr)	50.0
	Nickel (as Ni)	50.0
	Arsenic (as As_2O_3)	10.0
	Mercury (as Hg)	0.15

[F. No. 2-2/2019 Fert Law]
NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.**आदेश**

नई दिल्ली, 22 जून, 2020

का.आ. 2001(अ).—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 13 और 21 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 2900 (अ) तारीख 24 अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, मद संख्यांक 2 के क्रम संख्यांक (iii) के पश्चात् निम्नलिखित क्रमसंख्यांक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(iv) प्रत्येक विनिर्माता या आयातक को उर्वरक के सौ प्रतिशत जल में विलेय मिश्रण बनाने में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री का विवरण प्रदान करना आवश्यक है।”

[फा. सं. 2-2/2019 उर्वरक विधि]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 2020

S.O. 2001(E).—In pursuance of clause 13 and 21 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2900 (E) dated 24th October, 2015, namely,-

In the said notification, in item number 2, after serial number (iii), the following serial number shall be inserted, namely:-

“(iv) Every manufacturer or importer is required to provide the details of raw material used in making the hundred per cent. water soluble mixture of fertilizers.”

[F.No.2-2/2019 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 2020

का.आ. 2002(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 29क के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“29कक. उर्वरक, विश्लेषक का नियमित प्रशिक्षण:- प्रत्येक उर्वरक विश्लेषक केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान या मुंबई, कल्याणी या चेन्नई में किसी प्रादेशिक उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।”

3. उक्त आदेश की अनुसूची – 1 में, भाग-क में, “उर्वरकों के विनिर्देश” शीर्षक के अधीन, --

(i) “फोर्टीफाइड उर्वरक” से संबंधित उपशीर्षक 1(छ) में, क्रम संख्यांक 22 में, प्रविष्टि संख्यांक (vii) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(viii) सल्फेट सल्फर (एस के रूप में) भार के आधार पर प्रतिशत न्यूनतम 11.0”

(ii) “फोरटीफाइड उर्वरक” से संबंधित उपशीर्षक 1(छ) में, क्रम संख्यांक 26, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् (vii) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“ 27 मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और बोरान सम्पुष्ट एन पी के 8:21:21”

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	1.5
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (अमोनिकल + यूरिया) का प्रतिशत, न्यूनतम	8.0
(iii)	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	5.5
(iv)	भार के अनुसार उपलब्ध फास्फोरस (पी ₂ :ओ ₅ के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	21.0
(v)	भार के आधार पर जल में विलेय फास्फोरस (पी ₂ :ओ ₅ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	18.0
(vi)	भार के आधार पर जल में विलय पोटेशियम (के ₂ ओ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	21.0
(vii)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (एम जी के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	1.20
(viii)	भार के आधार पर कुल सल्फर (एस के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	2.0
(ix)	भार के जिंक (जैडएन के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	1.0
(x)	भार के आधार पर बोरान (बी के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	0.2-0.3
(xi)	कण आकार:- सामग्री का कम से कम 90 प्रतिशत 1 मि.मी. भारतीय मानक और 4 मि.मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।”	

28 4 प्रतिशत सल्फर सम्पुष्ट डायमोनियम फास्फेट”

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	2.5
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	18.0
(iii)	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	15.5
(iv)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (पी ₂ :ओ ₅ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	46.0
(v)	भार के आधार पर जल में विलेय फास्फोरस (पी ₂ :ओ ₅ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	41.0
(vi)	भार के आधार पर कुल सल्फर (एस के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	4.0

(vii)	भार के आधार पर सल्फर तत्व (एस के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	3.0
(viii)	कण आकार:- सामग्री का कम से कम 90 प्रतिशत 1 मि.मी. भारतीय मानक और 4 मि.मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।	

4. उक्त आदेश की अनुसूची-II के भाग ख में “उर्वरकों के विश्लेषण की पद्धति” शीर्षक के अधीन, --

(i) “प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए नमूना तैयार करना” से संबंधित क्रमसंख्यांक 1 में “प्रक्रिया” से संबंधित प्रविष्टि (ग) में, छलनी शब्दों के पश्चात् “पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट की दशा में नमूना 0.15 मि.मी. भारतीय मानक छलनी से 0.180 मि.मी. भारतीय मानक में छन जाए” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्यांक 21क “जल में घुलनशील कैल्शियम का अवधारण करना” से संबंधित मद (v) के उपमद क. टाइट्रिमेट्रिक पद्धति (ईडीटीए)टाईट्रेशन्स में, --

(क) “कैल्शियम के विलय का मानकीकरण” से संबंधित मद ख. के उपमद (ii) में, विलयन शब्द के पश्चात् “पोटेशियम मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट की दशा में 50 मिली. आसक्ति जल और 20 मि.ली. बफर विलयन डालें” शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) “विलयन के नमूने की तैयारी” से संबंधित मद ग में, उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(iii) पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट की दशा में “250 अनुमापी फलास्क में 2.5 ग्राम के स्वच्छ नमूने को और 5 मि.ल. सांद्रित एच सी एल को मिलाएं, मात्रा बनाएं और अच्छी तरह से मिलाएं।”

[फा. सं. 2-2/2019 उर्वरक विधि]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

टिप्पण : उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 758(अ) तारीख 25 सितम्बर, 1985 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. सं. 3447(अ) तारीख 25 सितम्बर, 2019 में अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 2020

S.O.2002 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Amendment Order, 2020

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referred to as the said Order), after clause 29 A the following clause shall be inserted, namely,-

“29AA. Regular training of Fertiliser Analysts.- Every Fertiliser Analyst shall undergo training after every three years in the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute or any Regional Fertiliser Quality Control Laboratory at Mumbai, Kalyani or Chennai.”.

3. In the said order, in Schedule -I, in Part- A, under the heading “Specification of Fertiliser”, -

(i) in sub-heading 1 (h) relating to “FORTIFIED FERTILISERS”, in serial number 22, after entry number (vii), following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“(viii) Sulphate Sulphur (as S) per cent. by weight minimum 11.0”

(ii) in sub-heading 1 (h) relating to “FORTIFIED FERTILISERS”, after serial number 26 and the entries relating there to, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“27 NPK 8 :21:21 fortified with Mg,S,Zn and B

(i)	Moisture per cent. by weight, maximum	1.5
(ii)	Total nitrogen (Ammonical and Urea) per cent. by weight, minimum	8.0
(iii)	Ammonical nitrogen per cent. by weight, minimum	5.5
(iv)	Available phosphorus (as P ₂ O ₅) per cent. by weight, minimum	21.0
(v)	Water soluble phosphorus (as P ₂ O ₅) per cent. by weight, minimum	18.0
(vi)	Water soluble Potassium (as K ₂ O) per cent by weight, minimum	21.0
(vii)	Magnesium (as Mg), per cent by weight, minimum	1.20
(viii)	Total Sulphur (as S) per cent. by weight, minimum	2.0
(ix)	Zinc (as Zn) per cent by weight, minimum	1.0
(x)	Boron (as B) per cent. by weight	0.2-0.3
(xi)	Particle size- Not less than 90 per cent. of the material shall be retained between 1 mm IS sieve and 4 mm IS sieve”.	

“28 Diammonium Phosphate fortified with 4% Sulphur

(i)	Moisture, per cent. By weight maximum	2.5
(ii)	Total Nitrogen, per cent by weight. minimum	18.0
(iii)	Ammonical nitrogen per cent by weight. minimum	15.5
(iv)	Available Phosphorus (as P ₂ O ₅) per cent. by weight minimum	46.0
(v)	Water soluble phosphorus (as P ₂ O ₅) per cent. by weight minimum	41.0
(vi)	Total Sulphur (as S) per cent. by weight minimum	4.0
(vii)	Elemental Sulphur (as S) per cent. by weight minimum	3.0
(viii)	Particle size- Not less than 90 per cent. of the material shall be retained between 1 mm IS sieve and 4 mm IS sieve”.	

4. In the said order, in Schedule-II, in Part- B, under the heading “Method of Analysis of Fertilisers”,-

(i) in serial number 1, relating to “Preparation of sample for analysis in the laboratory”, in item number (i), relating to “Procedure”, in entry (c), after the words “ sieve” the word and figure “ in case of Potassium Magnesium Calcium Sulphate, the sample shall pass through 0.150 mm IS sieve to 0.180 mm IS sieve”, shall be inserted;

(ii) in serial number 21 A, in item (v) relating to “Determination of water soluble calcium”, in sub-item A Titrametric Method (EDTA) Titrations,-

(a) in item (b), relating to “Standarisation of of calcium solution”, in sub-item (ii), after the word solution, the word and figures “In case of Potassium Magnesium Calcium Sulphate add 50 ml distilled water and 20 ml buffer solution”. shall be inserted.

(b) In item (c) relating to “ Preparation of Sample Solution” after sub-item (ii) the following sub- item shall be inserted namely,-

“(iii) In case of Potassium Magnesium Calcium Sulphate “weighed 2.5 gm of fresh sample in 250 ml volumetric flask and add 5 ml concentrated HCl , make up the volume and shake well”;

[F. No. 2-2/2019 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

Note.- The Fertiliser (Control Order, 1985 was published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 758(E), dated 25th September, 1985 and was last amended vide notification number S.O. No. 3447 (E) dated 25th September, 2019.

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 2020

का. आ. 2003(अ).—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20ख के अनुसरण में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के निम्नलिखित प्रचलित उर्वरकों के विनिर्देशन को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. N:P₂O₅:K₂O:S:Zn:B:: 12-24-0:0-0.5-0.2

क्र.सं.	विवरण	संयोजन
(1)	(2)	(3)
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	1.5
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (अमोनिकल+ यूरिया)का प्रतिशत न्यूनतम	12.0
(iii)	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रतिशत न्यूनतम	9.5
(iv)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (P ₂ O ₅ के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	24.0
(v)	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (P ₂ O ₅ के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	19.0
(vi)	भार के आधार पर जिंक (Zn के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	0.5
(vii)	भार के आधार पर बोरोन (B के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	0.2
(viii)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा ।	

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित को लागू होंगे :-

(क) फसल : कपास ;

(ख) अवस्था : बैसल; और

(ग) जिला : आंध्र प्रदेश राज्य के जिले कुरनूल, गुंटूर, कृष्णा, अनातपुर, कडप्पा, पूर्वी गोदावरी, प्रकाशम, विजयनगरम, श्री पोटी, श्रीरामुलु, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, पश्चिम गोदावरी और विशाखापत्तनम।

2. N:P₂O₅:K₂O:: 24-0-16

क्र.सं.	विवरण	संयोजन
(1)	(2)	(3)
(i).	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	1.5
(ii).	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन का प्रतिशत न्यूनतम	24.0
(iii).	भार के आधार पर जल में विलेय पोटैशियम (K ₂ O के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	16.0
(iv)	कण आकार : सामग्री कण का आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 1 मि. मी. और 4 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।	

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित को लागू होंगे :-

(क) फसल : कपास;

(ख) अवस्था : टाप डरेस; और

(ग) जिला : आंध्र प्रदेश राज्य के जिले कुरनूल, गुंटूर, कृष्णा, अनातपुर, कडप्पा, पूर्वी गोदावरी, प्रकाशम, विजयनगरम, श्री पोटी, श्रीरामुलु, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, पश्चिम गोदावरी और विशाखापत्तनम।

3. N:P₂O₅:K₂O:S:Zn:B:: 12-24-0-0-0.5-0.2

क्र.सं.	विवरण	संयोजन
(1)	(2)	(3)
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	1.5
(ii)	भार के आधार पर नाइट्रोजन का प्रतिशत न्यूनतम	12.0
(iii)	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रतिशत न्यूनतम	9.5
(iv)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (P ₂ O ₅ के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	24.0
(v)	भार के आधार पर जल में विलेय फास्फोरस (P ₂ O ₅ के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	19.0
(vi)	भार के आधार पर जिंक (Zn के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	0.5
(vii)	भार के आधार पर बोरॉन (B के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	0.2
(viii)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 1 मि. मी. और 4 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।	

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित को लागू होंगे :-

(क) फसल : कपास ;

(ख) अवस्था : बैसल ; और

(ग) जिला : तेलंगाना राज्य के जिले आदिलाबाद, भद्रादि कोठागुडम, जगतियाल, जनगाँव, जयशंकर भूपलपल्ली, जोगुलम्बा गडवाल, कामारेड्डी, करीमनगर खम्मम, कुमूरम भीम आसिफाबाद, महाबूबाबाद, महबूबनगर, , मंचेरियल, मेदक, मेड्चल मल्काजगिरि, नागर कर्नूल, नालगोंडा, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्ना सिसिल्ला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दपेट, सूर्यपेट, विकाराबाद, वानपर्ति, वारंगल ग्रामीण, वारंगल शहरी और यदाद्री भुवनगिरी ।

4. N:P₂O₅:K₂O:Zn:B:: 24-0-16

क्र.सं.	विवरण	संयोजन
(1)	(2)	(3)
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	1.5
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन का प्रतिशत न्यूनतम	24.0
(iii)	भार के आधार पर जल में विलेय पोटाश (K ₂ O के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	16.0
(iv)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 1 मि. मी. और 4 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा ।	

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित को लागू होंगे :-

(क) फसल : कपास ;

(ख) अवस्था : टाप डरेस ; और

(ग) जिला : तेलंगाना राज्य के जिले आदिलाबाद, भद्रादि कोठागुडम, जगतियाल, जनगाँव, जयशंकर भूपलपल्ली, जोगुलम्बा गडवाल, कामारेड्डी, करीमनगर खम्मम, कुमूरम भीम आसिफाबाद, महाबूबाबाद, महबूबनगर, , मंचेरियल, मेदक, मेड्चल मल्काजगिरि, नागर कर्नूल, नालगोंडा, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्ना सिसिल्ला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दपेट, सूर्यपेट, विकाराबाद, वानपर्ति, वारंगल ग्रामीण, वारंगल शहरी और यदाद्री भुवनगिरी ।

[फा. सं. 2-2/2019 उर्वरक विधि]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 2020

S.O. 2003(E). – In pursuance of clause 20 B of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby notifies the specifications of the following customised fertilizers for a period of three year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

1. **N:P₂O₅:K₂O:S:Zn:B :: 12-24-0-0.5-0.2**

Serial Number	Description	Composition
(1)	(2)	(3)
(i)	Moisture percent. by weight maximum	1.5
(ii)	Total Nitrogen (Ammonical + urea) per cent. by weight, minimum	12.0
(iii)	Ammonical Nitrogen per cent. by weight minimum	9.5
(iv)	Available Phosphorus (as P ₂ O ₅) per cent. by weight , minimum	24.0

(v)	Water soluble Phosphate(as P_2O_5) per cent. by weight minimum	19.0
(vi)	Zinc (as Zn) per cent by weight, minimum	0.5
(vii)	Boron (as B) per cent. by weight minimum	0.2
(viii)	Particle Size : Minimum 90 per cent. of the material shall be retained between 1mm and 4 mm IS sieve.	

The specification given above are applicable to the following :-

(a) Crop: Cotton;

(b) stage: Basal; and

(c) Districts: Kurnool, Guntur, Krishna, Anantapur, Cuddapah, Prakasam, Vizianagaram, East Godavri, Sri Potti Sriramulu Nellore, Srikakulam, West Godavri and Vishakhapatnam districts of the State of Andhra Pradesh.

2. **N:P₂O₅:K₂O :: 24-0-16**

Serial Number	Description	Composition
(1)	(2)	(3)
(i)	Moisture weight by percent. maximum	1.5
(ii)	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	24.0
(iii)	Water soluble Potassium (as K_2O) per cent. by weight, minimum	16.0
(iv)	Particle Size : Minimum 90 per cent. of the material shall be retained between 1mm and 4 mm IS sieve.	

The specification given above are applicable to the following:-

(a) Crop : Cotton ;

(b) Stage : Top Dress; and

(c) Districts: Kurnool, Guntur, Krishna, Anantapur, Cuddapah, Prakasam, Vizianagaram, East Godavri, Sri Potti Sriramulu Nellore, Srikakulam, West Godavri and Vishakhapatnam districts of the State of Andhra Pradesh.

3. **N:P₂O₅:K₂O:S:Zn:B :: 12-24-0-0-0.5-0.2**

Serial Number	Description	Composition
(1)	(2)	(3)
(i)	Moisture weight by per cent. maximum	1.5
(ii)	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	12.0
(iii)	Ammonical Nitrogen per cent by weight, minimum	9.5
(iv)	Available Phosphorus (as P_2O_5) per cent by weight, minimum	24.0
(v)	Water soluble phosphorus(P_2O_5) per cent by weight, minimum	19.0
(vi)	Zinc (as Zn) per cent by weight, minimum	0.5
(vii)1	Boron (as B) per cent by weight, minimum	0.2
(viii)	Particle Size : minimum 90 per cent. of the material shall be retained between 1mm and 4mm IS sieve.	

The specification given above are applicable to the following:-

- (a) crop: Cotton;
- (b) Stage; Basal; and
- (a) (c) Districts: Adilabad, Bhadrachari Kothagudem, Jagtial, Jangaon, Jayashankar Bhupalpally, Jogulamba Gadwal, Kamareddy, Karimnagar Khammam, Kumurambheem Asifabad, Mahabubabad, Mahabunagar, Mancheri, Medak, Medchal -Malkajiri, Nagarkurnool, Nalgonda, Nirmal, Nizamabad, Peddapalli, Rajanna Sircilla, Rangareddy, Sangareddy, Siddipet, Suryapet, Vikarabad, Wanaparthy, Warangal Rural, Warangal Urban and Yadadri Bhuvanagiri districts of the State of Telangana.

4. $N:P_2O_5:K_2O:Zn:B :: 24-0-16$

Serial Number	Description	Composition
(1)	(2)	(3)
(i)	Moisture percent by weight ,maximum	1.5
(ii)	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	24.0
(iii)	Water soluble Potash (as K_2O) per cent. by weight , minimum	16.0
(iv)	Particle Size : minimum 90 per cent. of the material shall be retained between 1mm and 4 mm IS sieve.	

The specification given above are applicable to the following:-

- (b) Crop : Cotton;
- (c) Stage: Top Dress; and
- (d) Districts: Adilabad, Bhadrachari Kothagudem, Jagtial, Jangaon, Jayashankar Bhupalpally, Jogulamba Gadwal, Kamareddy, Karimnagar Khammam, Kumurambheem Asifabad, Mahabubabad, Mahabunagar, Mancheri, Medak, Medchal -Malkajiri, Nagarkurnool, Nalgonda, Nirmal, Nizamabad, Peddapalli, Rajanna Sircilla, Rangareddy, Sangareddy, Siddipet, Suryapet, Vikarabad, Wanaparthy, Warangal Rural, Warangal Urban and Yadadri Bhuvanagiri districts of the State of Telangana.

[F.No.2-2/2019.Fert.Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.